भूख का बाज़ार

राधा होल्ला तथा लक्ष्मी मेनन

वर्ष 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) में स्तनपान के मुद्दे पर हुई बहस के दौरान भारत ने अपना पक्ष इस तरह से पेश किया था : 'व्यावसायिक संगठनों की मुख्य प्राथमिकता लाभ कमाना होती है। इसलिए व्यावसायिक संगठनों से ऐसी अपेक्षा करना न तो उचित होगा और न ही व्यावहारिक कि वे स्तनपान को संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए सरकारों व अन्य समूहों के साथ मिलकर काम करेंगे।' तब डब्ल्यूएचए ने प्रस्ताव क्रमांक 58.32 को स्वीकार करते हुए सदस्य समूहों से आग्रह किया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिशुओं व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के कार्यक्रमों व कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय समर्थन व अन्य प्रोत्साहन में किसी प्रकार से हितों के बीच टकराव न हो।

ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन एक ऐसा निकाय है जो खाद्य उद्योगों के हितों के संरक्षण का काम करता है। यूनिसेफ द्वारा गेन के साथ तालमेल करने से विभिन्न देशों की पोषण और खाद्य नीतियों में व्यावसायिक संस्थानों का दखल बढ़ जाएगा।

आज जिस तरह से भारत सरकार देश के नागरिकों के स्वास्थ्य व पोषण सम्बंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की ज़रूरत पर ज़ोर दे रही है, उसके मद्दे नज़र लगता है कि वर्ष 2005 के बयान को भुला दिया गया है। पीपीपी को आज इस तरह से पेश किया जा रहा है मानो सेहतमंद भारत की बुनियाद इसी पर खड़ी की जा सकती है, और इसके बगैर भारत बीमारियों और कुपोषण के दलदल में धंस जाएगा।

21 मई 1981 को आयोजित 34वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) में स्तनपान के विकल्पों के विपणन सम्बंधी अंतर्राष्ट्रीय कोड को स्वीकारते हुए माना गया था कि लाभोन्मुखी व्यावसायिक संस्थान समतामूलक विकास के पैरोकार नहीं बन सकते। इन दिशा निर्देशों में नागरिक समाज और यूनिसेफ व डब्ल्यूएचओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उम्मीद की गई थी कि वे लाभ के लिए कार्यरत उद्योगों से दो-दो हाथ कर विजय हासिल करेंगे।

लाभ की धारणा समतामूलक विकास को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, इस बात की पुष्टि वर्ष 1974 में नेस्ले कंपनी द्वारा एजीडीडब्ल्यू या थर्ड वर्ल्ड एक्शन ग्रुप के खिलाफ दायर एक मुकदमे से होती है। एजीडीडब्ल्यू ने एक पेम्फलेट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था- 'शिशुओं की हत्यारी नेस्ले'। वर्ष 1976 में अदालत का फैसला नेस्ले के पक्ष में आया क्योंकि कंपनी को 'आपराधिक कानून के तहत' शिशुओं की मौत के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। अदालत ने एजीडीडब्ल्यू पर 300 स्विस फ्रेंक का सांकेतिक जुर्माना लगाते हुए आगाह किया था कि उसे अपने प्रचार के तरीकों में सुधार करना चाहिए।

उक्त अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश नागरिक समाज द्वारा व्यावसायिक संगठनों की मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने का पहला वैश्विक प्रयास था। अमेरिका को छोड़कर अन्य तमाम देशों ने प्रथम दिशा निर्देशों को स्वीकार किया था। तब से दुनिया एक चक्कर लगाकर फिर उसी ज़गह पहुंच चुकी है, जहां से शुरुआत की थी। 27 साल बाद अब यूनिसेफ़ ने 'ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन' (गेन) के साथ हाथ मिलाए हैं।

गेन एक ऐसा निकाय है जो खाद्य उद्योगों के हितों के संरक्षण का काम करता है। यूनिसेफ द्वारा गेन के साथ तालमेल करने से विभिन्न देशों की पोषण और खाद्य नीतियों

में व्यावसायिक संस्थानों का दखल बढ़ जाएगा। अब तो स्थिति यह है कि यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि गेन की बैठक में उसी शिशु खाद्य निर्माता कंपनी डैनोन के प्रतिनिधियों के साथ बैठते हैं जिसने कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। गेन के बोर्ड सदस्यों के रूप में यूनिसेफ व डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज़ इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट के सदस्यों में बायर, कोका-कोला, डव केमिकल, केलॉग्स, मैकडॉनाल्ड्स, मोन्सेंटो, नेस्ले, नोवार्टिस, पेप्सिको, फाइज़र, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी सौ से भी अधिक खाद्य, रसायन और दवा कंपनियां शामिल हैं। गेन की पहल इस इंस्टीट्यूट ने ही की है। उसी ने हैंज़ फूड्स के साथ मिलकर उस 'स्प्रिंकल्स' नामक उत्पाद के समर्थन और विकास के लिए पैसा दिया है जो 6 माह के बच्चों के शरीर में लौह की कमी से होने वाले एनिमिया के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है।

ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन के बोर्ड में ऐसी कई कंपनियां शामिल हैं जो बेबी फूड बनाती हैं। इस वजह से कुपोषण उन्मूलन के इस प्रयास में उसके जुड़ने से कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं।

गेन से किसे फायदा?

'ग्लोबल एलाइंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन' (गेन) विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खाद्य उत्पादों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पोषण नीतियों में शामिल करने के लिए सरकारों के साथ लॉबिंग करता है। गेन की स्थापना बच्चों के स्वास्थ्य पर 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष सत्र में की गई थी। इसका मकसद उन बच्चों के लिए विटामिन युक्त आहार (फोर्टीफाइड फूड्स) की मात्रा बढ़ाना था, जिन्हें कम मात्रा में खाना नसीब हो पाता है। इसके लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने की बात कही गई थी। इसके उद्देश्यों में यह भी शामिल था कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों की अगुवाई में गेन इस बात की लॉबिंग करने का प्रयास करेगा कि लक्षित देशों में खाद्य कंपनियों के लिए अनुकूल शुल्क दरें लागू हों। इस लॉबिंग में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कनाडा की सरकारों ने साथ देने का वादा किया था। यही संगठन सरकारों को इस बात के लिए पैसा भी देगा कि उनके देशों में फोर्टीफाइड फूड्स की बड़े पैमाने पर मांग पैदा हो।

गेन अब डीएसएम न्यूट्रीशनल प्रोडक्ट्स, कारगिल, एक्ज़ो और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर 'गेन प्रीमिक्स फंड' स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। यह फंड लोगों को ऐसे ही उत्पाद खरीदने के लिए कर्ज़ और अनुदान देगा और ऐसा संभवतः एनजीओ व सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। इसकी स्थापना पर सहमति सितंबर 2007 में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की बैठक में बनी थी।

गेन और हितों में टकराव

जैसा कि ऊपर भी इंगित किया गया है, गेन कई संगठनों के साथ काम करता आया है। यह ऐसे कई समूहों का भी सदस्य है जो विभिन्न देशों की राष्ट्रीय पोषण नीतियों के सम्बंध में लॉबिंग करते आए हैं। ऐसा ही एक समूह डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाला 'कोलीशन फॉर सस्टेनेबल न्यूट्रीशन सिक्युरिटी इन इंडिया' है, जिसने दो साल तक के बच्चों में कुपोषण को रोकने या कम करने के लिए कदम सुझाने के वास्ते एक कार्यबल का गठन किया है। यूनिसेफ भी इस समूह व इसके द्वारा स्थापित कार्यबल में शामिल है। गेन के बोर्ड में ऐसी कई कंपनियां शामिल हैं जो बेबी फूड बनाती हैं। इस वजह से गेन के इस कोलीशन के साथ जुड़ने से कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। गेन की उपस्थिति से आई.एम.एस. कानून (1992) का भी खुला उल्लंघन होता है। आईएमएस एक्ट में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए गए हैं :

1. दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्मित शिशु आहार और दूध की बोतलों का प्रचार-प्रसार।
2. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम में इन चीज़ों का विज्ञापन।
3. किसी भी गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिला को

उपहार या मुफ्त नमूना देना।
4. ऐसे उत्पादों, जानकारी देने वाली सामग्री या उपकरणों का दान।
5. विज्ञापनों में माताओं, शिशुओं की तस्वीर, कार्टून या अन्य सम्बंधित ग्राफिक सामग्री का इस्तेमाल।
6. गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को अधूरी या गलत जानकारी देने वाली सामग्री या विज्ञापन।
7. अस्पतालों और दवा दुकानों पर पोस्टरों या सम्बंधित सामग्री का प्रदर्शन।
8. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भुगतान।
9. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उनके संगठनों के लिए उपहार, बैठकों, सम्मेलनों, सेमीनारों, प्रतियोगिताओं या अन्य किसी भी तरह की गतिविधि का प्रायोजन।

इस तरह इन समूहों में गेन की उपस्थिति से हितों में टकराव का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है क्योंकि इसका मकसद ही विभिन्न देशों की नीतियों में कंपनियों के उत्पादों के पक्ष में लॉबिंग करना है। कोलीशन की पिछली बैठक में जब यह मुद्दा उठा तो यूनिसेफ के प्रतिनिधि से इस मामले में एक समिति गठित करने को कहा गया। इस प्रतिनिधि ने ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बीपीएनआई) के राष्ट्रीय समन्वयक के साथ मिलकर हितों के टकराव के मसले पर एक बयान तैयार किया जिस पर बैठक में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को हस्ताक्षर करने थे, लेकिन यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने अपने ही बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत

मई 2008 में लैंसेट ने जच्चा-बच्चा कुपोषण पर एक सीरीज़ प्रस्तुत की थी। इसमें वैसे तो सारे मुद्दों पर विचार किया गया था मगर फोकस सूक्ष्म पोषक तत्वों पर था और यही सिफारिश थी कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों में फोर्टीफाइड आहार शामिल किया जाए। इस अध्ययन में शामिल एक विशेषज्ञ डॉ. सचदेव का कहना है कि यदि उद्योग द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के आंकड़े हटा दिए जाएं तो इस सिफारिश का कोई आधार नहीं है।

इंडियन पीडियाट्रिक्स के संपादक पीयूष गुप्ता सवाल उठाते हैं कि क्या सभी बच्चों के लिए विटामिन ए युक्त पूरक आहार ज़रूरी है? गुप्ता तुरंत इस दिशा में कार्रवाई करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि देश में सभी नवजात शिशुओं के लिए विटामिन ए युक्त पूरक आहार कार्यक्रम शुरू करने में तगड़ी लॉबिंग हो सकती है। यहां तक कि यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठन भी कंपनियों के दबाव के आगे झुक सकते हैं। वे आगाह करते हैं कि अधूरे साक्ष्य पेश करके देश में कुपोषण की समस्या के व्यावसायीकरण करने के प्रयास किए जा सकते हैं।

खेती के मौज़ूदा तरीकों पर विचार किए बगैर केवल पूरक आहार से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह तो ऐसा है कि एक तरफ व्यक्ति को खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके घाव से बहने वाले खून को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

आइए ज़िंक की कमी के मामले पर विचार करते हैं। हमारे शरीर को ज़िंक की प्राप्ति ज़िंक समृद्ध मिट्टी में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों के उपभोग से होती है। ज़िंक को निर्मित नहीं किया जा सकता, केवल मिट्टी में उसकी पूर्ति की जा सकती है और इसके लिए जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। डी.ए.पी. जैसे रासायनिक उर्वरकों की वज़ह से ज़िंक मिट्टी की ऊपरी परतों से निकल जाता है और इस प्रकार पौधे इससे वंचित रह जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों का लगातार उपयोग और कंपोस्ट का इस्तेमाल कम करने की वजह से ही ज़िंक की कमी हो रही है जो अंततः मनुष्य शरीर में भी नज़र आ रही है। ऐसे में खेती करने के मौज़ूदा तरीकों पर विचार किए बगैर केवल पूरक आहार से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह तो वही बात होगी कि एक तरफ व्यक्ति को खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके घाव से बहने वाले खून को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

दूसरी ओर, आटे को लौह युक्त बनाने के सम्बंध में माना जा रहा है कि इसका फायदा तभी मिलेगा जब लोग आटे के बजाय मैदे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका

मतलब यह होगा कि अन्य कई तरह के विटामिन, रेशा आदि की कमी होने लगेगी और दवा कंपनियां इसका भी लाभ उठाएंगी। इन नई समस्याओं का समाधान वे गोलियों के रूप में पेश करेंगी।

लौह की कमी से होने वाले एनीमिया के समाधान के लिए विकसित किए गए स्प्रिंकल्स के कुछ फायदे भी हैं। यह पैकेट में आता है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व चूर्ण रूप में होते हैं। इसे आसानी से घर में बनाए जाने वाले भोजन में मिलाया जा सकता है। आईसीडीएस के तहत इसको वितरित करने पर यह कितना प्रभावी होगा, इस सिलसिले में परीक्षण किए जा रहे हैं। वैसे लौह की कमी से ग्रस्त बच्चों को आईसीडीएस के तहत ऑयरन ड्रॉप देने का प्रावधान पहले से ही है, लेकिन नीतिगत विफलता और भ्रष्टाचार की वजह से यह आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। आईसीडीएस अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहा है। सवाल यह है कि अगर आईसीडीएस में स्प्रिंकल्स को शामिल किया जाता है तो क्या ये समस्याएं अचानक खत्म हो जाएंगी? एक पेंच यह भी है कि आईसीडीएस सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है और यह ज़रूरी नहीं है कि यह आगे भी दशकों तक चलता रहे। जब सरकार इससे अपने हाथ खींच लेगी, तब क्या लोगों को बाज़ार से स्प्रिंकल्स खरीदना होगा? अभी आईसीडीएस के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है, वह उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में बेहद कम है। इस सिफारिश के अनुसार आईसीडीएस को सभी बच्चों पर लागू करना है। मौजूदा बजट के हिसाब से देखें तो प्रत्येक बच्चे के पोषण आहार पर महज़ दो रुपए ही खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि स्प्रिंकल्स की खरीदी किस मद से की जाएगी? ज़ाहिर है, कहीं और कटौती की जाएगी। इसलिए स्प्रिंकल्स जैसे समाधानों को लागू करने से पहले इन समस्याओं पर विचार करना उचित होगा।

गेन अनुकूल कानून

जैसा कि पहले भी बताया गया है, गेन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में उद्योगों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल कानूनों का निर्माण करवाना है। यह साफ है कि इन कानूनों में शिशुओं के लिए पूरक आहार सम्बंधी नियम भी शामिल होंगे। भारत का आईएमएस कानून दुनिया में शिशुओं के लिए सबसे अनुकूल कानून है। क्या गेन इसे भी अनुकूल कानून मानेगा या फिर उसकी नज़र में वही कानून अनुकूल है जो उद्योगों को फायदा पहुंचाए?

सांसदों को प्रभावित करने के प्रयासों से गेन की रणनीति साफ है। गेन द्वारा आयोजित की गई युवा सांसदों की बैठक के बाद सांसद सचिन पायलट ने विटामिन ए युक्त

भारत में भी गेन विटामिन युक्त आहार सम्बंधी कई गतिविधियों में शामिल रहा है। उसकी 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट पर एक नज़र :

- सितंबर 2006 में गेन ने विश्व खाद्य कार्यक्रम और तमिलनाडु राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के साथ मिलकर एचआईवी/एड्स पीड़ितों के लिए पोषणयुक्त आहार प्रदान करने की परियोजना शुरू की।
- सितंबर 2006 में ही गेन ने गुजरात में 6 से 36 माह की उम्र के 4 लाख बच्चों को करीब 10 हज़ार टन पोषक आहार पहुंचाने के कार्यक्रम में मदद की।
- जनवरी 2007 में यूनिसेफ (राजस्थान) को गेन की ओर से 1,98,480 अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ। यह अनुदान घरों में तैयार पूरक आहार के साथ विटामिन व खनिज पदार्थों को मिलाकर बनाए गए भोजन को 1 लाख 20 हज़ार बच्चों तक वितरित करने के लिए दिया गया था।
- मई 2007 में गेन ने आंध्रप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने हेतु नांदी फाउंडेशन के साथ काम शुरू किया।
- मई 2007 में ही गेन की सहायता से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ने हैदराबाद के 1 लाख 20 हज़ार बच्चों के बीच पोषक बिस्कुट वितरित किए। इससे ब्रिटानिया को एक बड़ा बाज़ार निर्मित करने में मदद मिली, वह भी विज्ञापनों पर एक भी धेला खर्च किए बगैर।

पोषक आहार की ज़ोरदार वकालत की और वे संसद में एक निजी विधेयक भी लाए। इस विधेयक में खाद्य प्रसंस्करण निर्माताओं के लिए खाद्य पदार्थों में एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्व सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस सिलसिले में इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया गया कि जिन 86 फीसदी बच्चों को विटामिन ए की पर्याप्त खुराक नहीं मिल पाती, उन्हें दूध भी नसीब नहीं होता है। उन्हें प्रसंस्करित दूध से क्या फायदा? यह कार्यक्रम बांग्लादेश में डैनोन कंपनी द्वारा पोषक आहार के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रम की तर्ज़ पर ही होगा। डैनोन बांग्लादेश में ताज़ा दूध को प्रसंस्करित दूध में बदलकर 80 मि.ली. पैक 7 टका में बेच रही है, जबकि इतना ही ताज़ा दूध 2.5 टका में मिल जाता है।

बाज़ार आधारित समाधान

गेन कुपोषण की समस्या का समाधान बाज़ार में तलाशता है। गेन का उद्देश्य भारत में पोषक आहार के लिए एक अरब लोगों का बाज़ार निर्मित करना है। गेन ने अकेले हैदराबाद में ही ब्रिटानिया को एक लाख से भी अधिक बच्चों तक अपना उत्पाद पहुंचाने का मौका उपलब्ध करवाया है। इस प्रकार कुपोषण के इस बाज़ार में कंपनियों को अपनी मुनाफाखोरी के लिए व्यापक अवसर हैं।

कुपोषण की समस्या के इन बाज़ारू समाधानों में एक दिक्कत यह है कि इनमें ऐसे सवाल उठाने का कोई मौका नहीं मिलता कि आखिर इस समस्या की मुख्य वजह क्या है। एनीमिया की समस्या का समाधान भोजन में केवल लौह की खुराक बढ़ाने से नहीं होगा। इसका समाधान तब तक नहीं होगा, जब तक कि सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सम्बंधी दिक्कतें बनी रहेंगी। यदि महिलाएं सबसे अंत में और कम भोजन करेंगी, तो वे एनीमिया से ग्रस्त रहेंगी ही।

डायरिया की समस्या का समाधान भोजन में ज़िंक या विटामिन ए की मात्रा बढ़ाने में नहीं है। इसका समाधान तो प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। साथ ही ओआरएस घोल के इस्तेमाल का प्रचार करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण-3 के अनुसार डायरिया के उपचार में ओआरएस घोल का इस्तेमाल 30 फीसदी से भी कम किया जाता है। बीपीएनआई के राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अरुण गुप्ता के अनुसार हमारी मानसिकता ही ओआरएस और स्तनपान को प्रोत्साहित करने से रोकती है, जबकि यह कई बार सिद्ध हो चुका है कि स्तनपान शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने का सबसे प्रभावी हथियार है। निमोनिया को रोकने के लिए वैक्सीन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि जन्म के एक घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू करके छह माह तक उसे सतत चालू रखने से बेहतर उपाय नहीं हो सकता। परंतु वैक्सीन के एक डोज़ की कीमत करीब 4,500 रुपए है और यह बाज़ार के खिलाड़ियों के लिए कहीं अधिक मुफीद है। ***(स्रोत फीचर्स)***

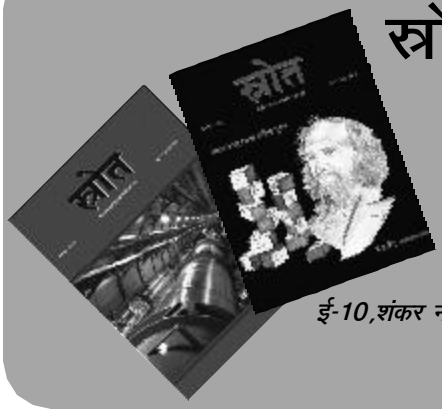

स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

वार्षिक सदस्यता

सिर्फ 150 रुपए

सदस्यता शुल्क एकलव्य, भोपाल

के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से

ई-10,शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016

के पते पर भेजें।